रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082026-275564
CG-DL-E-19082026-275564

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4390] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 2026/श्रावण 27, 1948
No. 4390] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 2026/SHRAVAN 27, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2026

सं. 29/2026-27

विषय: आइटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची - 1 (आयात नीति) के अध्याय 70 के अंतर्गत आइटीसी (एचएस) कोड 70051090 और 70052990 वाले क्लियर फ्लोट ग्लास (4 मिमी-12 मिमी) की आयात नीति और नीतगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 4570(अ).— समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 70 के अंतर्गत शामिल निम्नलिखित एचएस कोड के लिए आयात नीतिगत शर्त में निम्नानुसार संशोधन करती है:

एचएस कोड	मद विवरण	मौजूदा आयात नीति	संशोधित आयात नीति	मौजूदा आयात नीतिगत शर्त	संशोधित आयात नीतिगत शर्त
700510	नॉन-वायर्ड ग्लास, एक अवशोषक, परावर्तक या गैर-परावर्तक परत से युक्त				
70051090	अन्य	मुक्त	प्रतिबंधित	-	तथापि, आयात "**मुक्त**" है जहाँ सीआईएफ मूल्य 34,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन और उससे अधिक है।
700529	अन्य नॉन-वायर्ड ग्लास: -- अन्य				
70052990	अन्य: -- अन्य	मुक्त	प्रतिबंधित	-	तथापि, आयात " **मुक्त**" है जहाँ सीआईएफ मूल्य 34,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन और उससे अधिक है।

2. अग्रिम प्राधिकार पत्र धारकों, निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड की इकाइयों द्वारा आयात के लिए उपर्युक्त मदों पर, इस शर्त के अधीन कि उपर्युक्त आइटीसी (एचएस) कोड के तहत आयातित निविष्टियों को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में नहीं बेचा जाता है, न्यूनतम आयात मूल्य (एमआइपी) की शर्त लागू नहीं होगी।

3. एमआईपी शर्त इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी।

<u>अधिसूचना का प्रभाव:</u>

आइटीसी (एचएस) कोड 70051090 और 70052990 के अंतर्गत आने वाले क्लियर फ्लोट ग्लास (4 मिमी-12 मिमी) की आयात नीति और नीतिगत शर्त को "मुक्त" से "प्रतिबंधित" में संशोधित किया गया है। तथापि, आयात "मुक्त" होगा यदि सीआईएफ मूल्य 34,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन और उससे अधिक है। अग्रिम प्राधिकार पत्र धारकों, निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड की इकाइयों द्वारा आयात के लिए उपर्युक्त मदों पर, इस शर्त के अधीन कि उपर्युक्त आइटीसी (एचएस) कोड के तहत आयातित निविष्टियों को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में नहीं बेचा जाता है, उपरोक्त प्रतिबंध लागू नहीं है। न्यूनतम आयात मूल्य (एमआइपी) की शर्त इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू है।

यह माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/05/एएम-26/पीसी-2(ए)/ई-46088]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2026

No. 29/ 2026-27

Subject: Amendment in Import Policy and Policy condition of Clear Float Glass (4 mm–12 mm), falling under ITC (HS) Codes 70051090 and 70052990, covered under Chapter 70 of Schedule – I (Import Policy) of ITC (HS) 2022.

S.O. 4570(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy condition for the following HS codes covered under Chapter 70 of the ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy) as under:

HS code	Item Description	Existing Import Policy	Revised Import Policy	Existing Import Policy Condition	Revised Policy Condition
700510	Non-wired glass, having an absorbent, reflecting or nonreflecting layer				
70051090	Other	Free	Restricted	-	However, import is **"Free"** where the CIF value is ₹34,000 and above per MT**.**
700529	Other non-wired glass : -- Other				
70052990	Other : -- Other	Free	Restricted	-	However, import is **"Free"** where the CIF value is ₹34,000 and above per MT.

2. Minimum Import Price (MIP) condition on the above items shall not be applicable for imports by Advance Authorisation holders, Export Oriented Units (EOUs) and units in the SEZ subject to the condition that the imported inputs under the above ITC (HS) Codes are not sold into Domestic Tariff Area (DTA).

3. The MIP condition shall remain applicable for a period of one year from the date of publication of this Notification.

Effect of the notification:

The Import Policy and Policy Condition of Clear Float Glass (4 mm–12 mm), falling under ITC (HS) Codes 70051090 and 70052990**,** is revised from "Free" to "Restricted". However, import shall be "Free" if CIF value is ₹34,000 and above per MT. The above restriction is not applicable for imports by Advance Authorisation holders, Export Oriented Units (EOUs) and units in the SEZ subject to the condition that the imported inputs under the above ITC (HS) Codes are not sold into Domestic Tariff Area (DTA). The Minimum Import Price (MIP) condition shall remain applicable for a period of one year from the date of publication of this Notification.

This is issued with the approval of the Hon'ble Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/05/AM-26/PC-2(A)/e-46088]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA